



2026:AHC: 3979

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 19555 वर्ष 2025

देवेन्द्र पाल सिंह

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : आनंद कुमार श्रीवास्तव

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

**न्यायालय संख्या - 33**

**माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार**

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आनंद कुमार श्रीवास्तव और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उन्हें 01.11.1985 को कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया था, इसके बाद 01.12.1998 को उप-निरीक्षक और 26.01.2016 को निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया था। याचिकाकर्ता का दावा है कि उन्हें पुलिस उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नत किया जाना था, पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन इसी बीच याचिकाकर्ता 31.08.2025 को सेवानिवृत्त हो गए।
3. वर्तमान याचिका में प्रार्थना की गई है कि याचिकाकर्ता को पुलिस उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नत मानते हुए पेंशन संबंधी लाभ प्रदान किए जाएं।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता के दावे का प्रथम दृष्टया निर्णय प्रतिवादी संख्या 3, अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ.प्र., लखनऊ द्वारा किया जाना आवश्यक है।
5. न्यायालय के समक्ष दी गई दलीलों पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि याचिकाकर्ता 22.01.2026 तक प्रतिवादी संख्या 3, अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ.प्र., लखनऊ के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें। तत्पश्चात, प्रतिवादी संख्या 3 तीन महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेंगे।

7 जनवरी, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not For Legal Use.